<u>tSfod izek.khdj.k **(Organic Certification)** %&</u>

भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन0पी0ओ0पी0) के अंतर्गत जैविक उत्पादन के मानको, प्रत्यायन प्रणालियों, प्रत्यायन के मापदण्डो तथा पद्धतियों, राष्ट्रीय लोगों तथा उनके प्रयोग के विनियमों का पालन करते हुए जैविक प्रमाणीकरण कार्य किया जाता है।

उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था थर्ड पार्टी गारन्टी देती है , जिसके अंतर्गत प्रमाणीकरण संस्था यह प्रमाणित करती है कि संदर्भित उत्पाद / प्रक्रियायें / प्रणाली सभी जैविक मानको के अनुरुप है।

जैविक प्रबन्धन तंत्र को स्थापित होने एवं मृदा उर्वरता के सुधार होने में एक अंतरिम समयावधि की आवश्यकता होती है, जिसे रूपान्तरण अवधि कहा जाता है। यह वह समयावधि होती है। जिसमें जैविक प्रबन्धन तंत्र एवं मानको से सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यह अवधि एक वर्षीय एवं द्वि– वर्षीय फसलों के लिए न्यूनतम दो वर्ष तथा बहुवर्षी फसलों के लिए कम से कम तीन वर्ष मानी जाती है। रूपांतरण अवधि के दौरान उत्पाद को ''जैविक कृषि रूपांतरण के उत्पाद'' या इससे मिलते–जुलते आशय की जानकारी दर्शाकर विक्रय किया जा सकता है।

जैविक प्रमाणीकरण एक सत्यापन विधि है जो यह सुनिश्चित करती है कि उत्पाद जिन्हें ''जैविक'' कहा जा सकता है, उनके उत्पादन में जैविक बावत् निर्धारित निश्चित मापदण्डो का पालन सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार से जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली में उत्पादन विधि (Process) को प्रमाणित (Certify) किया जाता है। जैविक प्रमाणीकरण में फसल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में निम्नलिखित दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है :–

(1) व्यक्तिगत जैविक प्रचालक (Individual Operator)

(2) जैविक समूह प्रमाणीकरण (Group Certification)

¼1½ O;fDrxr vkijsVj ds iath;u gsrq vkoÛ;drk,¡ %&

- अगले फसल सत्र हेतु वार्षिक फसल योजना।
- भूमि के दस्तावेज।
- आपरेटर का पैन कार्ड।
- आपरेटर का आधार कार्ड।
- आपरेटर का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- फार्म मैप, जिसमें आसपास के फार्मों की स्थिति परिलक्षित हो।
- प्रक्षेंत्र का जी0पी0 एस0 (G.P.S.data)
- उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से कृषक का अनुबन्ध।
- फार्म डायरी का प्रारूप।

¼2½ leg iek.khdj.k %&

समूह कृषकों एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के मध्य समूह सेवा प्रदायक संस्था (Service Provider) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम के व्यवस्थित संचालन के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (आई0सी0एस0) की स्थापना करती है तथा निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :–

- यह कृषकों को संगठित कर जैविक उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करती है।
- समूह में जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का सुनिश्चित करती है।
- प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराकर जैविक प्रमाण–पत्र प्राप्त करती है।
- समूह के जैविक उत्पादन का संगठित विपणन करती है।

leg iek.khdj.k gsrq vko ;drk;sa %&

- समूह का वैधानिक स्टेटस (Legal Status) या संरचनात्मक ढॉचा होना चाहिए।
- समूह प्रमाणीकरण की सफलता के लिए समूह में शामिल सभी कृषक एक समान उत्पादन लेने वाले, भौगोलिक रूप से समान क्षेत्र में आने वाले तथा लगभग समान विचारधारा अपनाने वाले होने चाहिए। समूह में कम से कम 25 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते है।
- अनुमोदित कृषक सूची, जिसमें सभी कृषको का पूर्ण विवरण, कुल क्षेत्रफल, जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत क्षेत्रफल, खसरा संख्या, प्रक्षेत्र का जी0पी0एस0 डाटा, कृषको की आधार संख्या, मोबाइल नंम्बर, ई मेल आइडी तथा बैक खाते का विवरण सम्मिलित है।
- अग्रिम वर्ष हेतु सभी कृषको की फसल उत्पादन योजना।
- आई0सी0एस0 मैनुअल, जिसमें उसके संचालन एवं सदस्यों की यथानुसार दस्तावेजीकृत जिम्मेदारियाँ दी गई हो।
- समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो तथा आई0सी0एस0 (समूह) मैनेजर अथवा आई0सी0एस0 (समूह) का पैन कार्ड।
- आई0सी0एस0 (समूह) मैनेजर का आधार कार्ड।
- आई0सी0एस0 (समूह) मैनेजर की पासपोर्ट आकार की फोटो।
- समूह मानचित्र जिसमें समूह के सभी फार्मो की स्थिति परिलक्षित हो रही है।
- कृषकों का समूह में पंजीयन तथा अनुबन्ध की कापी। (सभी कृषको के लिये)।
- आंतरिक निरीक्षण का प्रोफार्मा। (सभी कृषको के लिये)।
- फार्म डायरी का प्रोफार्मा।(सभी कृषको के लिये)।